AMAR UJALA, Azamgarh, 2.4.2025
Page No. 2, Size:(13.27)cms X (12.08)cms.

# तरवां एसओ सहित बाकी पुलिसकर्मियों पर केस

## छेड़खानी के आरोप में बेटे को थाने ले गए थे पुलिसकर्मी, मां की शिकायत पर एसएसपी ने शुरू कराई जांच

संवाद न्यूज एजेंसी

**आजमगढ़।** तरवां थाना के शौचालय में सोमवार को एक युवक का फंदे से लटकता शव मिला था। मंगलवार को मृतक की मां की तहरीर पर थानाध्यक्ष (एसओ) सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पर तोड़फोड़ और पथराव भी किया था। एसएसपी हेमराज मीना के निर्देश पर मामले की जांच शुरू हो गई है।

तरवां थाना क्षेत्र के उमरी गांव निवासी कुसुम देवी ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। कुसुम ने बताया कि 29 मार्च को सुबह सात बजे थानाध्यक्ष कमलेश कुमार पटेल अपने साथ कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचे।

आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने जातिसूचक गालियां दीं और उनके बेटे सन्नी कुमार से पूछताछ शुरू कर दी। जब परिवार ने इसका कारण पूछा तो थानाध्यक्ष ने सन्नी को पकड़ लिया और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे जीप में डालकर थाने ले गए।

कुसुम जब परिवार और गांव के कुछ लोगों के साथ थाने पहुंचीं तो थानाध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि सन्नी को शाम तक छोड़ देंगे। लेकिन रात 11 बजे तक उसे रिहा नहीं किया। 30 मार्च की सुबह गांव वालों से सूचना मिली कि थाने में सन्नी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है।

थाने पहुंचने पर पता चला कि सन्नी की मौत हो चुकी है और उसका शव पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

वहीं, पुलिस का दावा है कि छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद सन्नी को थाने लाया गया था। यहां बने शौचालय में उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर हंगामा किया था।

भीड़ ने तोड़फोड़ और पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुसुम देवी ने एसएसपी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

शिकायत के आधार पर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार पटेल और अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर पर थानाध्यक्ष सहित पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उक्त मामले की जांच सीओ फूलपुर को सौंपी गई है।

मृतक के परिजनों से मिलते सपा नेता। स्रोत पार्टी

### पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने परिजनों से बात कर दिया न्याय का आश्वासन

**आजमगढ़।** थाना तरवां क्षेत्र के ग्राम उमरी में सन्नी कुमार की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के बाद मंगलवार को सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मृतक के गांव उमरी पहुंचा।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मृतक के पिता हरिकांत से फोन पर बात की। उन्होंने हरिकांत को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगी तो सपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।

जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि सन्नी कुमार की मौत पुलिस की बर्बरता और प्रशासन की दरिंदगी का सबूत है। इस दौरान सपा नेताओं ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधि मंडल में विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, डॉ. संग्राम यादव, नफीस अहमद, बेचई सरोज, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, दीपचंद बिशारद, जीएस प्रियदर्शी, अजीत कुमार राव और जगदीश प्रसाद शामिल थे। संवाद

### आजाद अधिकार सेना ने मानवाधिकार आयोग में की शिकायत

थाने में हुई मौत के मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत भेजकर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और जांच का जिम्मा अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को सौंपे जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करने की भी अपील की है।

### घर से छात्रा के परिजन भागे, पीएसी तैनात

मृतक सन्नी पर छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराने वाली छात्रा के परिजनों को जैसे ही सूचना मिली कि सन्नी की मौत हो गई है। इससे नाराज परिजन व गांव के लोग थाने पर तोड़फोड़ कर रहे हैं तो वह घर में ताला लगाकर छात्रा को अपने साथ लेकर कहीं चले गए। स्थिति को तनाव पूर्ण देखते हुए एसएसपी ने उमरी गांव में पीएसी सहित कई थानों की फोर्स को तैनात किया है।

### शव को दफन न करने पर अड़े परिजन

सोमवार को हुई घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देर रात पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजन शव को दफन करने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस व प्रशासन उन्हें समझाने में लगी थी। जिसके बाद सभी मान गए। वहीं भाजपा नेता अखिलेश कुमार मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह एवं उदय सिंह बब्बू उमरी पहुंचे और मृतक के परिवार को सांत्वना देते हुए पूरी मदद का भरोसा दिलाया। अखिलेश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के ऊपर हत्या के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सभी दोषियों के ऊपर कठोर करवाई की जाएगी। भाजपा नेताओं ने शव को कंधा देकर मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना की।

### सीओ फूलपुर करेंगे जांच

सन्नी कुमार (21) का शव सोमवार सुबह थाने के शौचालय में पजामे के नाड़े से लटकी हुई मिली। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का दावा है कि सन्नी की मौत पुलिस की प्रताड़ना और हत्या का नतीजा है, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। एसएसपी के निर्देश पर घटना की जांच फूलपुर के सीओ अनिल कुमार को सौंपी है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Azamgarh, 2.4.2025

Page No. 4, Size:(21.21)cms X (15.80)cms.

# पिता के पहुंचने के बाद सन्नी का किया गया अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : तरवां थाना में पुलिस कस्टडी में दलित युवक 22 वर्षीय सन्नी की मौत के बाद सोमवार की देर रात पिता हरिकांत के मुंबई से पहुंचने के उपरांत अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां कुसुम की तरह पिता भी सिसकते हुए पुलिसिया कहानी को झूठ बताते हुए कह रहे थे कि बेटे ने आत्महत्या नहीं की उसकी हत्या हुई है। पिता ने बताया कि सन्नी गाजीपुर के बहरियाबाद स्थित शैलेश महाविद्यालय में बीए की पढ़ाई के साथ वाराणसी में रहकर एसएस और पुलिस की तैयारी कर रहा था। सन्नी 18 मार्च को वाराणसी से घर आया था। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने को पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। घटना की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी की गई। बताते चलें कि तरवा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में सोमवार की भोर नाबालिग से छेड़खानी के मरी गांव निवासी आरोपित सन्नी ने बाथरूम के रोशनदान के सहारे पायजामा के नाड़े से फंदा बना कर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा था। सड़क जाम करते हुए पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई थी। उग्र भीड़ ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करते हुए पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस ने बचाव में लाठी चार्ज कर स्थिति पर नियंत्रण किया।

**मां की तहरीर पर थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों दर्ज हुआ मुकदमा :** सन्नी की मां कुसुम देवी के तहरीर पर थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुसुम देवी का आरोप है कि 29 मार्च 2025 को शाम को थानाध्यक्ष कमलेश कुमार पटेल अपने साथ कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने जातिसूचक गालियां दीं और उनके बेटे सन्नी कुमार से पूछताछ शुरू कर दी। जब परिवार ने इसका कारण पूछा तो थानाध्यक्ष ने सन्नी को पकड़ लिया और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे जीप में डालकर थाने ले गए। कुसुम ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है।

तरवा के मृतक के आवास पर वार्ता करते विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व विधायक संग्राम यादव व अन्य • जागरण

## आज उमरीपट्टी जाएंगे कांग्रेस व बसपा के प्रदेश अध्यक्ष

संस, जागरण, आजमगढ़ : तरवां थाना के बाथरूम में अनुसूचित जाति के युवक सन्नी की मौत को लेकर सियायत गरमा गई है। दो अप्रैल को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का जनपद आगमन हो रहा है। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष अपनी- अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तरवा के उमरीपट्टी गांव जाएंगे और मृतक सन्नी के स्वजन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। बसपा के जिलाध्यक्ष अरविंद ने बताया कि उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तरवा के उमरी में शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद बलिया के लिए रवाना हो जाएंगे।

## सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी सपा : अखिलेश

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : तरवां थाना के उमरी के सन्नी कुमार के मौत को लेकर सपाजनों का प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मिलकर न सिर्फ उन्हें ढांढस बंधाया, बल्कि उन्हें हर हाल में न्याय का भरोसा दिया। राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी परिवार के लोगों से फोन पर बात कराई। अखिलेश यादव ने वादा किया कि यदि पुलिस न्याय नहीं करेगी तो सपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। सन्नी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत प्रदेश की पुलिस प्रशासन की दरिंदगी, लूट-खसोट, गरीबों, पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार की कलई खोलने वाला है। हवलदार यादव ने आरोप लगाया कि संविधान व कानून का राज नहीं रह गया है। दलित लड़के के मौत से पूरे जिले में आम आदमी का सरकार व पुलिस से विश्वास उठ जा रहा है। उधर, मृतक के पिता ने अपनी व्यथा बताई। प्रतिनिधिमंडल में दुर्गा प्रसाद यादव, डा. संग्राम यादव, नफीस अहमद, बेचई सरोज, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, दीपचंद बिशारद, जीएस प्रियदर्शी, अजीत कुमार राव, जगदीश प्रसाद आदि रहे ।

मृत सन्नी के पिता से बातचीत करता हुआ सपा प्रतिनिधिमंडल • जागरण

कार्यालय ग्राम पंचायत-मदनपुर उर्फ प्रतापपुर, वि.ख.- करण्डा, गाजीपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत-पकरी, विकास खंड राबर्ट्सगंज जिला-सोनभद्र

अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना 2025–26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पकरी में

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Varanasi, 2.4.2025
Page No. 1, Size:(12.71)cms X (9.19)cms.

# तीन मौतों पर स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के आपरेशन थिएटर में वर्ष 2017 में नाइट्रस आक्साइड गैस के रिसाव के कारण तीन मरीजों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रूख अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव से जवाब तलब किया है। आयोग ने मृतक आश्रितों को तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। हालांकि मामले में आयोग को अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के प्रमाण मिले हैं। टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है।

- चार सप्ताह में रिपोर्ट नहीं देने पर आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे अस्पताल के अफसर
- आश्रितों को तीन लाख रुपये मुआवजा, डीजीपी को प्रस्तुत करनी होगी कार्यवाही की रिपोर्ट

चिकित्सा आपूर्ति के लिए टेंडर अवैध एजेंसियों को दिया गया, इसके कारण नाइट्रस आक्साइड गैस का रिसाव हो गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने तीन जून 2024 को लिखे पत्र में कहा था कि बीएचयू अस्पताल केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। मानवाधिकार उल्लंघन की घटना के संबंध में प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

अस्पताल अधिकारियों की तरफ से प्रशासनिक चूक की विस्तृत जांच और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और छह सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। बीएचयू के पूर्व विधि छात्र और जौनपुर निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राम अनुग्रह सिंह ने जनहित याचिका दाखिल की है। आयोग ने डीजीपी से कहा है कि मामले में सख्त कार्रवाई करें और चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA, Varanasi, 2.4.2025
Page No. 3, Size:(10.48)cms X (10.16)cms.

# तरवां थाने के शौचालय में आत्महत्या मामले में थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर केस

## पीड़ित मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज, छेड़खानी के आरोप में युवक को तीन दिन से बैठाए थी पुलिस

संवाद न्यूज एजेंसी

आजमगढ़। तरवां थाने के शौचालय में सोमवार को एक युवक का फंदे से लटकता शव मिला था। मंगलवार को युवक की मां की तहरीर पर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी हेमराज मीना के निर्देश पर मामले की जांच शुरू हो गई है।

तरवां थाना क्षेत्र के उमरी गांव निवासी कुसुम देवी ने तहरीर में कहा कि 29 मार्च को सुबह सात बजे थानाध्यक्ष कमलेश कुमार पटेल अपने साथ कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने जातिसूचक गालियां दीं और बेटे सन्नी कुमार से पूछताछ शुरू कर दी। परिवार ने इसका कारण पूछा तो थानाध्यक्ष ने सन्नी को पकड़ लिया और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की।

जीप में डालकर थाने ले गए। कुसुम जब परिवार और गांव के कुछ लोगों के साथ थाने पहुंचीं तो थानाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सन्नी को शाम तक छोड़ देंगे। रात 11 बजे तक उसे रिहा नहीं किया। 30 मार्च की सुबह गांव वालों से सूचना मिली कि थाने में सन्नी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। थाने पर पता चला कि सन्नी की मौत हो चुकी है और शव पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

पुलिस का दावा है कि छात्रा से छेड़खानी की शिकायत के बाद सन्नी को थाने लाया गया था, यहां बने शौचालय में उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर हंगामा किया था।

भीड़ ने तोड़फोड़ और पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी। कुसुम देवी ने एसएसपी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिकायत के आधार पर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार पटेल और अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर पर थानाध्यक्ष सहित पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

सनी के परिजनों से मिलता सपा का प्रतिनिधिमंडल। श्रोत-पार्टी

***मानवाधिकार आयोग में की शिकायत :*** *आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत भेजकर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और जांच का जिम्मा अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को सौंपे जाने की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करने की भी अपील की है।*

### सीओ फूलपुर करेंगे जांच

तरवां थाने में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सन्नी कुमार (21) का शव सोमवार सुबह थाने के शौचालय में पायजामा के नाड़े से लटका मिला था।

परिजनों का दावा है कि सन्नी की मौत पुलिस की प्रताड़ना और हत्या का नतीजा है, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। एसएसपी के निर्देश पर घटना की जांच फूलपुर के सीओ अनिल कुमार को सौंपी है।

### पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने परिजनों से बात कर दिया न्याय का आश्वासन

आजमगढ़। थाना तरवां क्षेत्र के ग्राम उमरी में सन्नी कुमार की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के बाद मंगलवार को सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मृतक के गांव उमरी पहुंचा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मृतक के पिता हरिकांत से फोन पर बात की।

उन्होंने हरिकांत को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगी तो सपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। संवाद

Maktoob Media

## WB: BSF personnel accused of brutalizing Muslim fisherman, obstructing medical treatment

https://maktoobmedia.com/india/wb-bsf-personnel-accused-of-brutalizing-muslim-fisherman-obstructing-medical-treatment/

Maktoob Staff | April 2, 2025 | Modified : April 2, 2025

A complaint has been filed with the National Human Rights Commission (NHRC) regarding an alleged human rights violation involving the Border Security Force (BSF) personnel and a resident of Gobra village, Sahabuiddin Biswas. The incident, which occurred on March 9, 2025, has raised concerns over custodial torture, medical negligence, and the interference of security forces in critical medical treatment.

Mr. Sahabuiddin Biswas, a 51-year-old fisherman from North 24 Parganas, was allegedly assaulted by BSF personnel near the Ichhamati River. According to the complaint, officers stopped Biswas from the BSF's Kalanchi Border Outpost without any lawful reason while he was en route to fish. The officers, identified as Inspector Vikash, ASI/GD Kuldeep Singh, and CT Subhankar Roy, reportedly verbally abused Biswas before shooting him at point-blank range with a pump action gun. The gunshot caused severe burns to his face and permanent damage to his right eye, leaving his left eye at risk.

Biswas was initially treated at Sarapul Rural Hospital, but his condition worsened, leading to a referral to AIIMS Hospital, Kalyani. On March 17, 2025, while undergoing preparations for surgery, BSF officers allegedly intervened, pressuring doctors to deny Biswas the required medical care. Despite purchasing medical supplies for the surgery, Biswas was discharged under duress. His daughter, Miss Ruksana Khatun, reportedly faced threats from BSF personnel when she questioned the abrupt decision to discharge her father.

The following day, Biswas was reportedly transferred by BSF officers to Gaighata Police Station, North 24 Parganas, where he was falsely implicated in a drug smuggling case. Despite his deteriorating health, he was formally arrested, and his condition continued to worsen. Biswas was eventually transported to several medical facilities, including Bongaon SD Hospital and Medical College and Hospital, Kolkata, where doctors concluded that both his eyes were irreparably damaged.

On March 21, 2025, Biswas' daughter approached the First Track Court, Sessions Judge, Barasat, urging the authorities to ensure proper treatment for her father. Following the court's direction, Biswas was finally admitted to the Regional Institute of Ophthalmology, Kolkata, on March 24, 2025.

The complaint to the NHRC alleges that BSF personnel not only used excessive force but also obstructed medical treatment and attempted to cover up their actions by falsifying

charges against Biswas. Furthermore, the complaint highlights the lack of action from local police despite formal complaints lodged by Miss Khatun to several authorities.

The NHRC has been urged to initiate an independent investigation into the actions of the BSF personnel, ensure immediate medical care for Biswas, and seek accountability for those responsible for the alleged torture, wrongful confinement, and medical negligence. The complaint also requests the Commission to protect Miss Khatun and her family from further threats.

In her letter to the NHRC, Miss Khatun stated, “This incident is a serious case of custodial torture, police inaction, and institutional human rights violations. I urge the Commission to take immediate steps to uphold justice.”

Times of India

## Delhi High Court judge transferred to Calcutta

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-high-court-judge-transferred-to-calcutta/articleshow/119879753.cms

TNN / Apr 1, 2025, 23:47 IST

New Delhi: The Centre on Tuesday cleared the proposal to transfer Justice Dinesh Kumar Sharma of Delhi High Court to Calcutta High Court.
In a release, the Union law ministry said Justice Sharma stood transferred from Delhi to the Calcutta High Court. The Supreme Court collegium recommended his transfer late last month. Sources said that it was a routine move.
He becomes the third judge from Delhi High Court to be transferred over the past few days after Justices Yashwant Varma and Chandra Dhari Singh.
Justice Sharma, who currently ranks 18th in seniority in Delhi High Court, was appointed a high court judge in Feb 2022. He was the district and sessions judge, New Delhi, and registrar-general of Delhi High Court before his elevation as a high court judge.

Last year, Justice Sharma took a strict view of the need to ensure that coaching centres adhere to rules and regulations and even advised the lieutenant governor to appoint a committee chaired by a former judge for such a purpose. He also said a place should be earmarked where all coaching centres could function. He was dealing with the bail plea of the owner of a building basement that housed an IAS coaching centre. Three civil service aspirants drowned and died after they were trapped in the basement that had become inundated.

Earlier this year, the judge also asked Delhi University and the Bar Council of India to consider online classes for law students so that they could make up for the shortage in attendance. Recently, his bench dealt with a tricky issue where he upheld an arbitral award exempting Delhi International Airport Limited (DIAL) from paying annual fees to the Airports Authority of India (AAI) during the COVID-19 pandemic.
The ruling not only reinforced the principle of force majeure (extraordinary event negating contractual obligations) but also referred to the "catastrophic" financial impact of the pandemic on the aviation industry.

Justice Sharma joined the Delhi judiciary in 1992. He has worked substantially in legal aid services as a judge and also completed a course on conflict management from the University of Oxford, London, while working with the National Human Rights Commission.
In his long career, besides presiding over courts of various jurisdictions, he worked as the secretary of the Delhi High Court Legal Service Committee and as director, Delhi Judicial Academy, where he introduced projects such as "mock trials" for judicial officers.

The Week

# Current regulatory mechanisms inadequate to deal with hate speech in the country RJD MP

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/04/01/par8-rs-jha-hate-speech.html

PTI Updated: April 01, 2025 14:53 IST

New Delhi, Apr 1 (PTI) Existing regulatory mechanisms, such as the National Human Rights Commission and the National Commission of Minorities, have become inadequate to deal with hate-based speeches and actions in the country, Rashtriya Janata Dal MP Manoj Kumar Jha said in Rajya Sabha on Tuesday.

Expressing concerns over the rising instances of hate speeches and actions causing enmity among various communities, Jha said such things are bringing fame to low-profile people and hatred has been normalised.

The RJD MP referring to a former United Nations Secretary General's comment that the tradition of hate created the Gas Chamber (referring to the Holocaust in Germany).

Naming countries such as Bosnia, Cambodia and Rwanda, which had seen civil unrest in the past, Jha said, "I do not want to see my country in this list."

The reality today is that people want peaceful passage of festivals without any tragedy, the MP said, adding that visiting the pages of history and fighting over it has become normal.

He concluded the statement by reciting an Urdu couplet that highlighted how, despite being close, people are stuck at a distance due to their self-imposed restrictions.

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

The Print

## Current regulatory mechanisms inadequate to deal with hate speech in the country: RJD MP

https://theprint.in/india/current-regulatory-mechanisms-inadequate-to-deal-with-hate-speech-in-the-country-rjd-mp/2573825/

PTI | 01 April, 2025 03:03 pm IST

New Delhi, Apr 1 (PTI) Existing regulatory mechanisms, such as the National Human Rights Commission and the National Commission of Minorities, have become inadequate to deal with hate-based speeches and actions in the country, Rashtriya Janata Dal MP Manoj Kumar Jha said in Rajya Sabha on Tuesday.

Expressing concerns over the rising instances of hate speeches and actions causing enmity among various communities, Jha said such things are bringing fame to low-profile people and hatred has been normalised.

The RJD MP referring to a former United Nations Secretary General's comment that the tradition of hate created the Gas Chamber (referring to the Holocaust in Germany).

Naming countries such as Bosnia, Cambodia and Rwanda, which had seen civil unrest in the past, Jha said, "I do not want to see my country in this list." The reality today is that people want peaceful passage of festivals without any tragedy, the MP said, adding that visiting the pages of history and fighting over it has become normal.

He concluded the statement by reciting an Urdu couplet that highlighted how, despite being close, people are stuck at a distance due to their self-imposed restrictions. PTI JP RUK RUK

This report is auto-generated from PTI news service. ThePrint holds no responsibility for its content.

LATESTLY, Online, 2.4.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

LatestLY

# ताजा खबरें | नफरती भाषणों से निपटने के लिए मौजूदा नियामक तंत्र अपर्याप्त : राजद सांसद मनोज झा

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे मौजूदा नियामक तंत्र देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों और कृत्यों से निपटने के लिए अपर्याप्त हो गए हैं।

https://hindi.latestly.com/agency-news/existing-regulatory-mechanisms-to-deal-with-hatred-speeches-insufficient-rjd-mp-manoj-jha-r-2558534.html

एजेंसी न्यूज Bhasha | Apr 01, 2025 04:40 PM IST

नयी दिल्ली, एक अप्रैल राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे मौजूदा नियामक तंत्र देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों और कृत्यों से निपटने के लिए अपर्याप्त हो गए हैं।

राजद सदस्य ने विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले नफरती भाषणों और कृत्यों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी चीजें कुछ लोगों को प्रसिद्धि दिला रही हैं और नफरत को सामान्य बात बना दिया गया है।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान झा ने संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व महासचिव की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि नफरत के कारण ही गैस चैंबर (जर्मनी में नाजी शासनकाल में यहूदियों के नरसंहार के लिए) बना।

बोस्निया, कंबोडिया जैसे देशों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, "मैं अपने देश को इस सूची में नहीं देखना चाहता।" उन्होंने कहा कि आज की वास्तविकता यह है कि लोग चाहते हैं कि त्योहार बिना किसी त्रासदी के, शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाए।

शून्यकाल में ही कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल ने महानगरों में शिक्षा पर बढ़ते खर्च और सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर चिंता जताई और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून के तहत "आथिक रूप से कमजोर" वर्गों से संबंधित प्रावधान लागू करने की मांग की।

उन्होंने कुछ सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा कि अभिभावक प्रारंभिक शिक्षा में औसतन 40,000 रुपये से दो लाख रुपये सालाना खर्च करते हैं तथा यह खर्च और बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का उद्देश्य सस्ती शिक्षा प्रदान करना था, लेकिन वे अपने उद्देश्य में विफल हो रहे हैं।

भाजपा सदस्य के. लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा दावा की गई सैंकड़ों एकड़ भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया है। वहीं भाजपा सदस्य सुजीत कुमार ने दो अप्रैल को "विश्व ऑटिज्म दिवस" के संदर्भ में 'ऑटिज्म' बीमारी से पीड़ित बच्चों का मुद्दा उठाया। उन्होंने अनुरोध किया कि 'ऑटिज्म' के बारे में जागरूकता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

भाजपा सदस्य राधामोहन दास अग्रवाल ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन और बच्चों में बढ़ते कुपोषण का मुद्दा उठाया वहीं माकपा सदस्य केआरएन राजेश कुमार ने मनरेगा से जुड़ा मुद्दा उठाया।

शून्यकाल में ही भाजपा के ईरण कडाडी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुडी योजनाओं को अन्य योजनाओं में खर्च कर दिया।

कांग्रेस सदस्य मुकुल वासनिक ने बिहार के बोधगया स्थिर महाबोधि मंदिर को गैर-बौद्धों के नियंत्रण से मुक्त कराने और इसके लिए संबंधित कानून में संशोधन की मांग की।

एमडीएमके सदस्य वाइको सहित कुछ अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल में लोक महत्व के विषय के तहत अपने-अपने मुद्दे उठाए।

अविनाश माधव

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Hindustan

# आदर्श मौत मामले में पूर्व एसपी बस्ती अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की शिकायत

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/basti/story-human-rights-complaint-filed-over-suspicious-death-of-adarsh-upadhyay-in-police-custody-201743485305414.amp.html

Newswrap हिन्दुस्तान, बस्ती Tue, 1 Apr 2025, 10:58:AM

Basti News - बस्ती के दुबौलिया थाने में आदर्श उपाध्याय की संदिग्ध मौत के मामले में पूर्व एसपी अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में मौत का मामला बनता...

बस्ती। दुबौलिया थाने के उभाई निवासी आदर्श उपाध्याय मौत मामले में बस्ती के पूर्व एसपी रहे अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत किया है। यह जानकारी आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बस्ती के दुबौलिया थाने में युवक आदर्श उपाध्याय की संदिग्ध मौत मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजा है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि अब तक इस मामले में जो तथ्य आए हैं, उनसे स्पष्ट रूप से पुलिस हिरासत में मौत का मामला बनता है। यहां तक की स्वयं एसपी बस्ती अभिनन्दन ने भी इस मामले में पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुई कुछ कर्मियों को निलंबित किया है। इसके बाद भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना घोर आपत्तिजनक है और पुलिस कर्मियों का सीधा-सीधा बचाव किया जाना है।

अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मानवाधिकार आयोग से इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना सीआईडी से कराने का आदेश देने की मांग किया है। उन्होंने आयोग से पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

BHARTIYA BASTI, Online, 2.4.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Bhartiya Basti

## मानवाधिकार आयोग पहुंचा बस्ती के आदर्श उपाध्याय मामला, FIR दर्ज न होने पर जताई आपत्ति

https://bhartiyabasti.com/basti-news-live-in-hindi/aadarsh-upadhyay-case-basti-human-rights-commission-reached-raised-objection-over-not-registering-fir/article-18766

adarsh upadhyay basti | By Bhartiya Basti | Leading Hindi News Website | On 01 Apr 2025 09:22:24

adarsh upadhyay basti आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बस्ती के दुबौलिया थाने में युवक आदर्श उपाध्याय की अत्यंत संदिग्ध मौत के मामले में आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी है

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि अब तक इस मामले में जो तथ्य आए हैं, उनसे स्पष्ट रूप से पुलिस हिरासत में मौत का मामला बनता है. यहां तक की स्वयं एसपी बस्ती अभिनन्दन ने भी इस मामले में पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुई कुछ कर्मियों को निलंबित किया है. इसके बाद भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना घोर आपत्तिजनक है और पुलिस कर्मियों का सीधा-सीधा बचाव किया जाना है.

अतः उन्होंने मानवाधिकार आयोग से इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना सीआईडी से करवाने के आदेश देने की मांग की है.

अमिताभ ठाकुर ने आयोग से पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Online, 2.4.2025

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Dainik Bhaskar

# आजमगढ़ की घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत:पूर्व IPS अभिताभ ठाकुर बोले दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा न लिखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/azamgarh/news/complaint-to-human-rights-commission-regarding-azamgarh-incident-134751094.html

आजमगढ़ में दलित युवक की थाने में मौत के बाद के मामले में सियासत तेज हो गई है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताथ ठाकुर ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की है। एक दिन पूर्व भी अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र के माध्यम से दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ रूपए का मुआवजा दिए जाने की बात कही थी।

दोषी पुलिसकर्मियों पर हो मुकदमा

मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा कि अब तक इस मामले में जो तथ्य आए हैं, उनसे स्पष्ट रूप से पुलिस हिरासत में मौत का मामला बनता है। यहां तक की स्वयं एसएसपी आजमगढ़ हेमराज मीणा ने भी इस मामले में पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुई कुछ कर्मियों को निलंबित किया है।

इसके बाद भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना घोर आपत्तिजनक है और पुलिस कर्मियों का सीधा-सीधा बचाव किया जाना है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग से तत्काल इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना सीआईडी से करवाने के आदेश की मांग की है।